न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – /2022 (Bank Case)

GCMS no.- 36/2022

पंजाब नेशनल बैंक एक निगमित निकाय है। जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं – 04, सेक्टर 10, द्वारका, न्यू दिल्ली–110075 में स्थित व कार्यरत है और जिसकी एक शाखा कार्यालय– पंजाब नेशनल बैंक, सर्किल सस्त्रा सेन्टर, कोटा में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी योगेश कुमार मीना।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल पत्नी श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल **(ऋणी / बंधककर्ता)**
   पताः मं.नं. 2, विनायक कॉम्पलेक्स नसिया जी रोड, छोटा चौराहा, दादाबाडी, कोटा–324009
2. श्री सुशान्त खण्डेलवाल **(ऋणी)**
   पता– मं.नं. 2, विनायक कॉम्पलेक्स नसिया जी रोड, छोटा चौराहा, दादाबाडी, कोटा–324009
3. श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल पत्नी स्व0 श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल (ऋणी श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल के विधिक उतराधिकारी)
   पताः मं.नं. 2, विनायक कॉम्पलेक्स नसिया जी रोड, छोटा चौराहा, दादाबाडी, कोटा–324009
4. श्री सुशान्त खण्डेलवाल पुत्र स्व0 श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल (ऋणी श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल के विधिक उतराधिकारी)
   पता– मं.नं. 2, विनायक कॉम्पलेक्स नसिया जी रोड, छोटा चौराहा, दादाबाडी, कोटा–324009
5. श्री मीना खण्डेलवाल पुत्री स्व. श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल (ऋणी श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल के विधिक उतराधिकारी)
   पता– मं.नं. 2, विनायक कॉम्पलेक्स नसिया जी रोड, छोटा चौराहा, दादाबाडी, कोटा–324009
6. श्री गुंजन खण्डेलवाल पुत्री स्व. श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल (ऋणी श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल के विधिक उतराधिकारी)
   पता– मं.नं. 2, विनायक कॉम्पलेक्स नसिया जी रोड, छोटा चौराहा, दादाबाडी, कोटा–324009

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 25-04-2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पंजाब नेशनल बैंक,जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं–04, सेक्टर 10, द्वारका, न्यू दिल्ली–110075 व शाखा कार्यालय– पंजाब

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (रा.)

नेशनल बैंक, सर्किल सस्त्रा सेन्टर, कोटा में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 19.02.2016 को खाता संख्या 529400NC00004449 में 55,00,000/- (अक्षरेः पचपन लाख मात्र) एंव खाता संख्या 5294009900000556 में 13,00,000/- (अक्षरेः तेरह लाख मात्र) कुल ऋण रूपये 68,00,000 (अक्षरेः अडषठ लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल की सम्पत्ति मकान नं. 2, विनायक कॉम्पलेक्स नसिया जी रोड, छोटा चौराहा, दादाबाडी, कोटा 324009 राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षैत्रफल 1750 वर्ग फीट है जो जरिये विकय पत्र दिनांक 27.01.2011 से श्रीमति ज्योति खण्डेलवाल पत्नि श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल के नाम से है। जिसकी चर्तुः सीमाएं– उत्तरः– आम रास्ता, दक्षिण :– रामसुख पटवारी की बगीची, पूर्वः– किसन लाल अग्रवाल का प्लॉट, पश्चिमः– श्रीमती विद्या अग्रवाल का प्लॉट है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 10.05.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे 70,98,816.11/- (अक्षरे रूपये सत्तर लाख, अठानवें हजार, आठ सौ सोलह रूपये व ग्यारह पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 17.09.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 17.09.2021 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 17.09.2021 को नोटिस भी प्रेषित किये गय जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 17.09.2021 को नोटिस भी प्रेषित किये गय जो अप्रार्थी को तामिल हुए, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल की सम्पत्ति मकान नं. 2, विनायक कॉम्पलेक्स नसिया जी रोड, छोटा चौराहा, दादाबाडी, कोटा 324009 राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षैत्रफल 1750 वर्ग फीट है जो जरिये विकय पत्र दिनांक 27.01.2011 से श्रीमति**

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

ज्योति खण्डेलवाल पत्नि श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल के नाम से है। जिसकी चर्तुः सीमाएं– उत्तरः– आम रास्ता, दक्षिण :– रामसुख पटवारी की बगीची, पूर्वः– किसन लाल अग्रवाल का प्लॉट, पश्चिमः– श्रीमती विद्या अग्रवाल का प्लॉट है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)